भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1507
12 दिसंबर,2023 को उत्तरार्थ

विषयः- महिला कृषि उद्यमी
1507. श्री रोड़मल नागरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में महिला किसानों/कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि उपस्करों और ड्रोन उपकरणों आदि के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु महिला कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षण/राजसहायता/ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) : सरकार उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में योजना दिशानिर्देशों में मौजूद पात्रता और शर्तों के अनुसार महिला किसानों और कृषि उद्यमियों सहित किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर व्यय करना चाहिए। इन योजनाओं में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता (आत्मा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (एनएमओओपी), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) शामिल है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश भर में महिला किसानों सहित भूमिधारक किसान परिवारों को , कुछ बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन, वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके उन्हें सशक्त बनाना है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं की सतत आजीविका का निर्माण करना है। यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से प्रोजेक्ट मोड में किया जाता है। मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि उद्यमों को शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कृषि

वस्तुओं के मूल्यवर्धन के लिए एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए के उत्पादक उद्यमों और उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली के तहत केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान (सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर भारत में अपने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्रों (एआईसीआरपी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिला मुद्दों पर शोध करने के अधिदेश के साथ काम कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने अनुप्रयोग और क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन के अधिदेश के साथ उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) सहित देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। केवीके किसानों और महिला कृषकों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और विभिन्न विषयों पर महिला विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश मेंनवाचार और कृषि उद्यमिता वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा देना और इन्क्यबेशन पारिस्थिति की तंत्र का विकास करना है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश भर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपीएस) को उत्कृष्टता केंद्र और चौबीस आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) के रूप में नियुक्त किया है। संभावित महिला स्टार्टअप/उद्यमी कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं।

कृषि अवसंरचना निधि पात्र परियोजनाओं के लिए महिला किसानों सहित पात्र लाभार्थियों को मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष 3% ब्याज छूट (आईएस) के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज की परिकल्पना की गई है।

(ख) : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की केंद्र प्रायोजित योजना के क्षत्रक के तहत कार्यान्वित कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) का उद्देश्य मुख्य रूप से महिला किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को 'किसानों को केंद्र में लाकर अंतिम जन तक पहुंचना'; कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी) को बढ़ावा देकर कृषि यंत्रीकरण का लाभ देना, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाना, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्र में प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है।

सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और बिश्वनाथ चरियाली (असम) में चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) स्थापित किए हैं। ये संस्थान कृषि यंत्रीकरण की नवीनतम तकनीक पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत महिला

किसानों/तकनीशियनों/इंजीनियरों/बेरोजगार युवाओं/मशीनरी निर्माताओं आदि सहित किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

ड्रोन सहित विभिन्न कृषि यंत्रों और उपकरणों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए, ग्रामीण उद्यमियों (एक उद्यमी के रूप में महिला किसान सहित ग्रामीण युवा और किसान) किसानों की सहकारी समितियों, किसानों उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतोंको परियोजना लागत का 40% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी की परियोजना लागत 60 लाख रुपये और हाईटेक हब की250 लाख रुपये तक हो सकती है। कम यंत्रीकृत राज्यों के चिन्हित गांवों में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और पंचायतों को 80% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

*****